बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांकः–प्र०/यो० बजट–04/16 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 'हर घर को विद्युत संबंध' देने हेतु 1897.50 करोड़ रूपये की स्वीकृत मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 560.00 करोड़ (पाँच सौ साठ करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर (हों0) कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

दिनांक 18.12.2015 को मंत्रिपरिषद द्वारा सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने एवं इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया, इसमें से एक निर्णय 'हर घर को विद्युत संबंध' निर्धारित समय में प्रदान किये जाने से संबंधित है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत्यादेश संख्या–758 दिनांक 04.03.2016 द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 'हर घर को विद्युत संबंध' देने हेतु **मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना** की स्वीकृति एवं इसके क्रियान्वयन हेतु 1897.50 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (हों0) कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यादेश संख्या 182 दिनांक 25.01.2017 के द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) लिमिटेड को राशि 587.3847 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में 500.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 560.00 करोड़ (पाँच सौ साठ करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा मांग की गई है जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

3. उक्त आलोक में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 'हर घर को विद्युत संबंध' देने हेतु 1897.50 करोड़ रूपये की स्वीकृत मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 560.00 करोड़ (पाँच सौ साठ करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर (हों0) कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. यह राशि मुख्य शीर्ष 2801–बिजली, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकमों में सहायता मांग सं0–10, उपशीर्ष–0106 मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना विपत्र कोड–10–2801051900106 विषय शीर्ष–0106.33.01–सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

5 इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0 खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–120–अन्य निधियों, उपशीर्ष–0046 बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, व्यय शीर्ष–848001200046 एवं प्राप्तियों–के0–8448001200046 में जमा की जायेगी।

6. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी0ए0 खाता संख्या PLA274 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०/यो० बजट–04/16 के पृष्ठ संख्या–06/टि0 पर दिनांक–16.02.2016 को प्राप्त है।

9. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०/यो० बजट–04/16 के पृष्ठ संख्या–12/टि0 पर दिनांक–10.01.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/यो० बजट–04/16 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार(लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/यो० बजट–04/16 173 पटना, दिनांक– 21/01/2019

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।